न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2021-138(GCMS2021-391)

1. लालदीन पुत्र अमीरदीन
2. सलीम पुत्र अमीरदीन
3. साबुदीन पुत्री अमीरदीन
4. बिस्मिला पत्नी अमीरदीन

सभी जातियान् मुसलमान,
निवासीगण- चारणाई, तहसील बाप,
जिला फलोदी, हाल निवासी- वीर दुर्गादास
कॉलोनी, मसुरिया पहाड़ी पर, जोधपुर, राज.।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. महेन्द्र खां पुत्र हुसैन खां
2. जमाल खां पुत्र हुसैन खां
3. गफूर खां पुत्र हुसैन खां
4. श्रीमती धाउ पत्नी स्व. नसीर खां
5. हलु उर्फ हबीला पुत्री स्व. नसीर खां पत्नी इकलाब उर्फ मोहम्मद
6. जमीला पुत्री स्व. नसीर खां पत्नी सदाम
7. फिरोज खां पुत्र नसीर खां
8. बिलाल पुत्र स्व. नसीर खां
9. सत्तार पुत्र स्व. नसीर खां
10. सिकंदर पुत्र स्व. नसीर खां

जातियान् मुसलमान, निवासीगण- चारणाई तहसील बाप,
जिला फलोदी।

11. नेजु खां पुत्र हुसैन खां
12. मेरा पुत्र हुसैन खां
13. जैनफ पुत्री स्व. हनीफ खां, पत्नी बसीर खां, जाति मुसलमान, निवासी- गणेशनगर, ग्राम पंचायत करसन कलां, तहसील बाप, जिला फलोदी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. घुमी पुत्री स्व0 हनीफ खां, पत्नी श्री फिरोज खां, जाति मुसलमान, निवासी-गणेशनगर, ग्राम पंचायत करसन कलां, तहसील बाप, जिला फलोदी
15. मोहम्मद निजाम पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
16. इकबाल पुत्र पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
17. इलमदीन पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
18. युसुफ उर्फ भूरा पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
19. समदर खां पुत्र कायम खां, जाति मुसलमान, निवासी-दल्ले खां की चक्की, मस्जिद फुसतफा के पास, पाल रोड़, मसूरिया, जोधपुर।
20. मुसे खां पुत्र सुगरी एवं गनी खां,
21. अनवर पुत्र सुगरी एवं गनी खां,
22. मुमल पुत्री सुगरी एवं गनी खां

    जातियान् मुसलमान, निवासीगण-चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-ग्राम केरु तहसील व जिला जोधपुर।
23. मैना पुत्री कायम खां, पत्नी फकीर खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-भादू मार्केट, पाल रोड़, गुलिश्ता कॉलोनी, मस्जिद के पास, जोधपुर, राज.।
24. बधु पुत्री कायम खां, पत्नी बरकत खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-केरु मस्जिद के पास, केरु, तहसील व जिला जोधपुर।
25. उमर खां पुत्र इमाम खां,
26. दले खां पुत्र इमाम खां,
27. जबरदीन पुत्र इमाम खां,
28. पिरोज खां पुत्र इमाम खां,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

29. सायबखातु पत्नी इमाम खां,
30. मेहरदीन पुत्र अकबर खां,
31. इसे खां पुत्र अबकर खां,
32. साऊ खां पुत्र अकबर खां,
33. मलुको पत्नी अकबर खां,
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी
34. दले खां पुत्र अब्दुल हकीम
35. अब्दुल रहीम उर्फ लतीफ पुत्र अब्दुल हकीम
36. मस्ता पुत्री अब्दुल हकीम
37. सुगी पुत्री अब्दुल हकीम
38. रजीया पत्नी मोहम्मद शरीफ पुत्र जमाल खां,
39. यासीन खां पुत्र मोहम्मद शरीफ
40. अन्ना पुत्री मोहम्मद शरीफ
41. कोजु खां पुत्र मोहम्मद शरीफ
    जातियान् मुसलमान, निवासीगण-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-ग्राम इमाम नगर, राबडिया पोस्ट सुराणी वाया आगोलाई जिला जोधपुर।
42. शरीफ खातु पुत्री जमाल खां, पत्नी भाई खान, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम इमाम नगर, राबडिया पोस्ट सुराणी वाया आगोलाई जिला जोधपुर।
43. मोहम्मद कासम पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-ग्राम जागरिया पोस्ट मोहरो, तहसील फलोदी जिला फलोदी
44. ग्राम पंचायत जागरिया, पोस्ट मोहरा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी
45. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप, जिला फलोदी

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 20 अक्टूबर 2021 राजस्व वाद संख्या 177/2013 लालदीन व अन्य बनाम महेन्द्र खां इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 45

नि र्ण य

दिनांक : 03 जनवरी 2025

अपीण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2013 लालदीन व अन्य बनाम महेन्द्र खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 अक्टूबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 10 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 08 ता 24 की उनके पूर्वजों के समय की कदीमी पुश्तैनी सहिस्सेदारी की भूमि वाके ग्राम देगावड़ी तहसील फलोदी में खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी चारम की आई हुई है। वादीगण-अपीलाण्ट्स एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 08 ता 24 के पूर्वज जंगी खां पुत्र अन्ने खां के वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और भू-प्रबन्ध के समय कब्जा व काश्त में थी परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बावजूद जंगी खां के कब्जा काश्त में होने के अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से मजदूरी के लिये गांव से अन्यत्र आते जाते रहने तथा गरीबी से जुझते इस भूमि को गांव पड़ियाल के तत्कालीन जागीरदार ठाकुर रेवतसिंह पुत्र जोरसिंह और विजयसिंह पुत्र मूलसिंह की गैर मकबूजा गलत दर्ज अभिलेख कर दी गई जबकि वास्तव में इस भूमि पर वादीगण के पूर्वज जंगी खां का बहैसियत खुद काश्त काश्तकार कब्जा था। सम्वत् 2012-13 में जंगी खां का इन्तकाल हो जाने पर जंगी खां के तीन पुत्रों खाजू, खां, जमाल खां, अमीरदीन का कब्जा काश्त रहा और उन तीनों के इन्तकाल के बाद उत्तरोत्तर निरन्तर आज तक उनके वारिसान् और उत्तराधिकारीगण का बिना किसी रुकावट के कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त भू-प्रबन्ध व लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पहले से जंगी खां व उनके वारिसान् का कब्जा काश्त होने के बावजूद यह भूमि जंगी खां के नाम राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर महेन्द्र खां, जमाल खां, गफूर खां पि. हुसैन खां ने 224 बीघा 9 बिस्वा भूमि तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलावट कर जंगी खां के नाम अभिलेख में काश्त गिरदावरी के अंकन होने के बावजूद अभिलेख को कांट छांट करवाकर पूर्व के वर्षों की प्रविष्टियों में गलत बाद के वर्षों में एन्टी डैटेड इन्द्राज दर्ज करवा जंगी खां के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राज को सम्वत् 2012-2022 के मध्य का अभिलेख नष्ट करवा कर सीधे अपने नाम धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सरासर गलत नामान्तरकरण संख्या 19 (20) खोलाकर सरपंच ग्राम पंचायत जाम्बा से बिना किसी क्षेत्राधिकार के विधि विरुद्ध तरीके से राजस्व कानून एवं नियमों के विपरित जाकर गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर अपनी अवयस्क अवस्था का अभिलेख काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गिरदावरी व नामान्तरकरण तैयार करवाया और गलत खातेदारी के अभिलेख में हेरा फेरी कर रकबा 200 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवाई तथा अन्य हस्तलिपि व अलग स्याही से कांट छांट कर जंगी खां के नाम गैर खातेदारी के इन्द्राज का सम्वत् 2012-2022 के मध्य का अभिलेख नष्ट करवाकर सीधे अपने नाम धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् सरासर गलत नामान्तरकरण संख्या 19(20) खोलाकर सरपंच ग्राम पंचायत जाम्बा से बिना किसी क्षेत्राधिकार के विधि विरुद्ध तरीके से राजस्व कानून एवं नियमों के विपरित जाकर गलत नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर रेकर्ड को खुर्द बुर्द किया है जिसकी गिरदावरी के बाद के वर्षों में भिन्न स्याही से तैयार किये गये अभिलेख व नामान्तरकरण की प्रविष्टि को अपने खातेदारी हकूकों के विरुद्ध प्रभावहीन और निरस्त करवाने के हकदार है। कालान्तर में अकाल दर अकाल से मुकाबला करते जंगी खां के वारिसान् के सपरिवार जंगी खां के ससुराल गांव चांचलवा तहसील शेरगढ इत्यादि अगल स्थानों पर निवास करने व वर्षा के समय की गांव देगावडी आते रहने से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की अभिलेख में फर्जी कूटरचना से अभिलेख को खुर्द बुर्द कर अपने नाम अभिलेख तैयार किये जाने की जानकारी नही हो सकी। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने विवादग्रस्त काश्त भूमि में कोई हक हिस्सा ही नही होते गलत तरीके से रेकर्ड को खुर्द बुर्द कर अपने नाम करवाये गये गलत इन्द्राजात के आधार पर बख्शीशनामा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के हक में महज कागजी बिना कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा के निष्पादित करवाकर नामान्तरकरण संख्या 3 शून्य है जिसे वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन घोषित करवाने के जायज एवं कानूनन् हकदार है। विवादग्रस्त काश्त भूमि में बिना कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हक हिस्सा एवं बिना विधिक अधिकार के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के हक में करवाये गये बख्शीशनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने महज रेकर्ड को खुर्द बुर्द करने की बदयांति से दिनांक 16.10.2010 को विवादग्रस्त काश्त भूमि का बंटवाडा कर बंटवाडा का नामान्तरकरण संख्या 8 ग्राम बागडा उप-तहसीलदार बाप एवं पटवारी हल्का से मिलावट कर गलत पारित करवा लिया है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 24 के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन व शुन्य है। इस प्रकार अपीलार्थीगण खसरा संख्या 53/1 में 1/3 हिस्से की घोषणा करवाने के हकदार है जिसके लिये अपीलार्थीगण के द्वारा वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामिल प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 की ओर से जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा जवाब प्रस्तुत किया कि खसरा संख्या 53 में से रकबा 224 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर सैटलमेन्ट एवं उससे पूर्व ही प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त उनका ही चला आ रहा है। उक्त भूमि पर अपीलार्थीगण एवं अन्य प्रत्यर्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। जंगी खां के उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर कब्जा काश्त नही था। राजस्व रेकर्ड में कोई कांट छांट नही की गई है। नामान्तरकरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया है जिसका बंटवाडा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 द्वारा आपस में सहमति से करवा लिया गया है इसलिये वाद पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की। अन्य प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा वाद व जवाब दावा के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई। वादी व प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य तथा दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.10.2021 के द्वारा अपीलार्थीगण के वाद को खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 7 के काउण्टर क्लेम को स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए कि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी की सह हिस्सेदारी की काश्त भूमि वाके ग्राम देगावडी नया गांव बागड़ा तहसील फलोदी जिला जोधपुर में स्थित है। जो वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं भू-प्रबन्ध के समय अपीलार्थीगण के पूर्वज जंगी खां पुत्र अन्ने खां के कब्जा काश्त में थी परन्तु पारिवारिक परिस्थितियों से मजदूरी के लिए गांव से शहर में आते जाते रहते थे। इन परिस्थितियों में उक्त भूमि गांव पड़ियाल तत्कालीन जागीरदार ठाकुर रेवतसिंह पुत्र जोरसिंह और विजयसिंह पुत्र मूलसिंह के गैर मकबुजा के गलत दर्ज अभिलेख कर दी गई जबकि वास्तव में इस भूमि पर अपीलार्थीगण के पूर्वज जंगी खां का बहैसियत खुद कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काश्त अधिकार था। सम्वत् 2012-13 में जंगी खां का इन्तकाल हो जाने पर जंगी खां के तीनों पुत्रों खाजु खां, जमाल खां, अमीरदीन का कब्जा काश्त रहा। जंगी खां के इन्तकाल के एक साल के बाद खाजु खां का इन्तकाल हो गया इस प्रकार जंगी खां के तीनों पुत्रों के नाम फौतेदगी का नामान्तरकरण नही भरा गया व खाजु खां के तीन पुत्र थे कायम खां, अकबर खां, इमाम खां व ये तीनों जंगी खां के पोते है। जमाल खां के तीन पुत्र थे अब्दुल हकीम, मोहम्मद सरिफ, कासम खां ये भी तीनां जंगी खो के पोते है तथा अमीरदीन के तीन पुत्र है लालदीन, सलीम, सहाबुदीन ये भी तीनों जंगी खां के पोते है। जमाल खां वल्द जंगी खां व जमाल खां वल्द हुसैन खां एक नाम जमाल खां होने के कारण फर्जीवाडा किया गया। प्रतिवादीगण दस पीढी तक हमारे खानदान में नही है। जमाल जंगी खां यह नाम सही है और जमाल हुसैन खां यह नाम सरासर गलत है इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने एक अपील विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 105/2013 लालदीन वगैरा बनाम महेन्द्र खां वगैरा में पारित आदेश दिनांक 25.06.2014 जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय प्रार्थीगण/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वारा देगावडी स्थित आराजी खसरा संख्या 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा जमीन किस्म बारानी चारम के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील संख्या 54/2014 प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार की और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.06.2014 को अपास्त दिनांक 10.06.2015 को किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय मण्डल में निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 230 के तहत प्रस्तुत की गई जो माननीय मण्डल द्वारा निगरानी खारिज की गई। इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा जमीन किस्म बारानी चारम की आई हुई है। वक्त भू-प्रबन्ध लागू होने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पहले से जंगी खां के कब्जा काश्त होने के बावजूद यह भूमि जंगी खां के नाम राजस्व अधिकार अभिलेख में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर जंगी खां का पोता कायम पुत्र खाजु खां ने खसरा नम्बर 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा की भूमि को जंगी खां का पुत्र बनकर अपने नाम दर्ज करवा दिया। कायम खां खाने कमाने के लिए अपना पुश्तैनी गांव छोड़कर अन्य गांव में बस गया और जंगी खां के दोनों पुत्र जमाल व अमीरदीन गांव चांचलवा तहसील शेरगढ में अपने ननिहाल खाने कमाने के लिये चले गये। खसरा संख्या 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा में से 224 बीघा भूमि कांट छांट करके जमाल खां गफुर मैन्दे खां उर्फ महेन्द्र खां पिता हुसैन खां ने नाबालिग बच्चे के नाम दर्ज करवाई, जंगी खां का पुत्र जमाल खां एक नाम होने के कारण हुसैन खां ने अपने पुत्र जमाल खां का फायदा उठाते हुए यानि की जंगी खां की मात्रा हटाकर जगम बनाया बाद जमाल खां बनाया गया एवं पेन से घोटकर किया राजस्व रिकार्ड में कई जगह खुर्द बुर्द किया गया। जमाल खां का पहला अक्षर ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर आता है तथा जंगी खा पहला अक्षर भी ज पर आता है इसलिये उन्होने मौके पर फायदा उठाकर जंगी की मात्रा हटाकर जगम बनाया और जगम को बाद में पेन से घोटकर जमाल बनाया इस बात का खुलासा किया गया। जमाल खां जंगी खां का नाम आता है और जमाल खां वल्द हुसैन का नाम आता है इस प्रकार हुसैन खां ने अपने नाबालिग पुत्र जमाल खां का नाम ओवरराइटिंग करके जमाल खां बताया गया है जो कि खारिज होने के योग्य है तथा बाद में एक नाम जमाल खां होने के कारण हुसैन खां ने अपने नाबालिग पुत्र जमाल खां गफुर खां व मैन्दे खां का सम्वत् 2014 में कटिंग करके व अभिलेख में कांट छांट करके अपने नाबालिग पुत्रों का नाम दर्ज करवाया गया उस समय नाबालिग पुत्रों का नाम दर्ज करवाया गया। उस समय नाबालिग पुत्रों की उम्र 6 साल, 8 साल, 10 साल थी जो कि खारिज होने के योग्य है तथा हुसैन खां के तीनों पुत्र गफुर खां, जमाल खां, मैन्दे खां ने एक बख्शीशनामा में सम्वत् 2005 (सन् 2009 तारीख 05.11.2009) में अपनी उम्र दशाई गई उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी उम्र सम्वत् 2014 में नाबालिग थी और जमाल खां के मतदाता परिचय पत्र के अनुसार जमाल खां की उम्र 2014 में नाबालिग थी। जमाल हुसैन खां और जमाल जंगी खां की वोटर लिस्ट साथ में सलग्न है तथा खसरा नम्बर 53 (रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा) के नक्शा की कॉपी संलग्न है। इस प्रकार प्रतिवादीगणों का जमाबन्दी म्यूटेशन खारिज करने योग्य है और प्रतिवादीगण खातेदार नही है और खसरा नम्बर 53 रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा में से 224 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण कृषि भूमि पर झुठे कथन से अपना कब्जा काश्त होना बताया है जिसके जमाबन्दी की कॉपी संलग्न है। कायम खां ने अभिलेख में कांट छांट करके कायम खां पुत्र जंगी खां राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाया है जबकि कायम खां जंगी खां का पोता है जबकि कायम खां खाजु खां का पुत्र दर्शाया गया है। कायम खां जंगी खां का पोता है। कायम खां ने राजस्व अभिलेख में कांट छांट करके खसरा नम्बर 53 में से 200 बीघा में कायम खां पुत्र खाजु खां म्यूटेशन में दर्ज किया गया ये सब इस प्रकार कार्यवाही पटवारी पहाडसिंह से मिली भगत करके गैर मकबुजा राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज कर दी जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए महेन्द्र खां उर्फ मैन्दे खां जमाल खां गफुर खां पिसरान् हुसैन खां ने 224 बीघा भूमि 09 बिस्वा भूमि के इन्द्राज को राजस्व रेकर्ड में कांट छांट करवाकर पूर्णतः अपने नाम करवा लिया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत् सरासर गलत नामान्तरकरण संख्या 19 व 20 ग्राम पंचायत जाम्बा से बिना किसी क्षेत्राधिकारी से स्वीकृत करवाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हक हिस्सा अथवा अधिकार नही रहा। धारा 15 के नामान्तरकरण संख्या 19 व 20 के आदेश की प्रति आज तक सरकारी रेकर्ड में उपलब्ध नही है जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण ने सूचना के तहत् मांगी गई नामान्तरकरण संख्या 19 व 20 की प्रति तहसीलदार बाप में आज तक आदेश की प्रति प्रार्थीगण को उपलब्ध नही कराई है। प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति सिद्ध कर दिया कि सम्वत् 2012 से 2019 तक गिरदावरियों में कायम खां पुत्र खाजू खां ने अपना नाम कायम खां पुत्र जंगी खां दर्ज कराया इस प्रकार यह म्यूटेशन खारिज होने योग्य है जबकि कायम खां, जंगी खां का पोता है इस प्रकार जमाल खां पुत्र हुसैन खां मात्र 6 साल का नाबालिग था। अपीलार्थीगण ने अपने अपने साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 लालदीन, पीडब्ल्यू 2 सलीम, पीडब्ल्यू 3 बिस्मिला पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलार्थीगण ने अपने साक्ष्य शपथ पत्रों के साथ प्रदर्श 1 से 12 दस्तावेज पेश किये गये। इस प्रकार अपीलार्थीगण का साक्ष्य शपथ पत्रों में प्रदर्श दस्तावेजात् में कायम खां पुत्र जंगी खां खसरा नम्बर 53 में रकबा 424 बीघा 09 बिस्वा में कांट छांट कर अपने नाम कराया इसमें कायम खां पुत्र जंगी खां का पुत्र बताया गया जबकि वास्तव में कायम खां पुत्र जंगी खां का पोता है और कायम खा वल्द खाजू खां का पुत्र है। कायम खां पुत्र जंगी खां का किस आदेश से नामान्तरकरण भरा गया इसकी आदेश की प्रति पटवारी के राजस्व रेकर्ड में उपलब्ध नही है। ग्राम मोहरा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 48 रकबा 121 बीघा बाबत कायम खां पुत्र खाजू खां का राजस्व रेकर्ड/अभिलेख में इन्द्राज है इस प्रकार कायम खां जंगी खां का पौत्र है। इस प्रकार प्रत्यर्थीगण का नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र कायम खां पुत्र खाजु खां दस्तावेज पेश किया जिससे यह साबित होता है कि कायम खां पुत्र जंगी खां दस्तावेज में कांट छांट कर इन्द्राज किया गया और इसमें कायम खां जंगी खां का पुत्र इन्द्राज किया गया है जबकि कायम खां जंगी खां का पौत्र है। इस दस्तावेज में कांट छांट कर सम्वत् 2014 व जमाल खां, मेदे खां उर्फ महेन्द्र खां, गफुर खां वल्द हुसैन खा व 224 बीघा लिखा गया इस प्रकार प्रतिवादीगण का नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण खातेदार नही है जो दूसरी स्याही से लिखा हुआ है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 खातेदार ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नही किया। वादीगण का साक्ष्य शपथ पत्रों में प्रदर्शन दस्तावेजों के अनुसार कायम खां पुत्र खाजू खां खसरा नम्बर 53 में 200 बीघा भूमि बतायी गयी है और जमाल खां मेदे खां उर्फ महेन्द्र खां गफुर खां पिता हुसैन खां सम्वत् 2014 में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कांट छांट कर लिखा गया है जो अन्य स्याही की पेन से लिखा गया है व दूसरी स्याही के पेन से सम्वत 2014 लिखा गया है के प्रतिवादीगण का नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है जमाल खां, मेदे खां उर्फ महेन्द्र खां, गफुर खां पिता हुसैन सम्वत् 2014 में कांट छांट कर खसरा नम्बर 53 रकबा 224 बीघा 09 बिस्वा लिखा गया। अपीलार्थीगण का साक्ष्य शपथ पत्र में प्रदर्श दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादी जमाल खां वल्द हुसैन खां अपनी मतदाता सूची में जो उम्र बतायी गयी है उसके अनुसार प्रतिवादीगण के नामान्तरकरण के समय उम्र नाबालिग थी अतः प्रतिवादीगण को नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है। इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण का साक्ष्य शपथ पत्रों में प्रदर्श दस्तावेज के अनुसार पटवारी के राजस्व रेकर्ड अन्तर्गत धारा 15 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 19 व 20 इन्द्राज/दर्ज किया गया उसका रिकार्ड उपलब्ध नही है इस प्रकार प्रतिवादीगण का नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है और अपीलार्थीगण का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। वादीगण का साक्ष्य पत्रों में प्रदर्श दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादीगण के सम्वत् 2012 से 2019 तक खसरा नम्बर 53 का तरमीम के दस्तावेज नही हैं प्रतिवादीगण का नामान्तरकण अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलार्थीगण का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण का साक्ष्य शपथ पत्र में प्रदर्श दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादीगण ने बख्शीशनामा दिनांक 05.11.2009 निष्पादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया इस बख्शीशनामा में प्रतिवादीगण की उम्र के अनुसार सम्वत् 2014 में प्रतिवादीगण नाबालिग थे। नाबालिग कभी भी कब्जा काश्त नही कर सकते है और प्रदर्श दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादीगण का नामान्तरकरण अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलार्थीगण का नामान्तरकरण इन्द्राज करने का आदेश फरमावें और प्रतिवादीगण खातेदार नही है। बख्शीशनामा में लिखा है कि खसरा संख्या 53 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही है। खसरा संख्या 53 अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त है। यहा जंगी खां की ढाणी थी और खेत के पडौसी अब्दे खां की भाई अम्बे खां पुत्र नीकु खां के मकान के आगे धोरा है ओर धोरे की ढाल में जंगी खां की ढाणी थी। इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा सभी तनकियात जो उनके द्वारा साबित करनी थी उन तनकियों को वादीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित किया गया है जिसके तहत् अपीलार्थीगण द्वारा साबित किया गया है कि वे जंगी खां के वारिसान् है तथा राजस्व रेकर्ड में कांट छांट व हेरा फेरी करके प्रत्यर्थीगण द्वारा अपना नाम दर्ज करवाया गया है जिससे उन्हें कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है तथा मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार साबित होते है।इस आधार पर अपीलार्थीगण का वाद साबित होता है तथा वाद स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण का काउण्टर क्लेम गलत रूप से स्वीकार किया गया है जबकि मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नही है तथा अपीलार्थीगण इसी अपील के साथ काउण्टर क्लेम को भी चुनौती देने का अधिकार रखते है तथा माननीय न्यायालय की अनुमति से यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील प्रस्तुत करते हुए निवेदन करते है कि प्रत्यर्थीगण के पक्ष में स्वीकार काउण्टर क्लेम को साबित नही होने के कारण अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें। प्रत्यर्थीगण स्वयं साक्ष्य में उपस्थित ही नही हुए है तथा न ही अपने पक्ष में तनकी को साबित कर पाये है जिनका नाम राजस्व रेकर्ड में प्रथम बार गलत रूप से दर्ज हुआ था वो प्रत्यर्थी साक्ष्य में ही उपस्थित नही हुए है। इस कारण भी प्रत्यर्थीगण का काउण्टर क्लेम गलत रूप से स्वीकार किया गया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 20.10.2021 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें तथा अपीलार्थीगण का वाद डिकी किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में जागीरदारी की भूमि थी जिस पर वक्त सेटलमेण्ट एवं सेटलमेण्ट के पूर्व से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 का कब्जे-काश्त रहा है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उन्हें वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुरूप खसरा संख्या 53 कुल रकबा 424 बीघा 08 बिस्वा में से 224 बीघा 09 बिस्वा भूमि बतौर खसरा संख्या 53/1 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम जरिये म्युटेशन संख्या 19(20) मौजा देगावडी दर्ज की गयी। उक्त म्युटेशन को आदिनांक तक विधिवत चुनौती दी जाकर अपास्त नहीं कराया गया है। अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा कुछ भूमि प्रतिवादीगण संख्या 4 से 7 को बख्शीश की गयी जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 3 ग्राम बागडा स्वीकृत हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में उक्त प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है और मौके पर इन प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है और बाडे ढाणिया आदि बना कर सपरिवार निवास किया जा रहा है। कालान्तर में दिनांक 16 नवम्बर 2011 को प्रशासन गांवों के संग कैम्प चारणाई के दौरान प्रतिवादीगण संख्या एक से सात द्वारा तहसीलदार बाप के समक्ष उपस्थित होकर वादग्रस्त भूमि का आपसी बंटवारा कराया गया, जिसके आधार पर म्युटेशन संख्या 8 स्वीकृत हुआ। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-रेस्पो. द्वारा समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर अपने पक्ष को भलीभांति सिद्ध किया गया है। वादग्रस्त भूमि कभी भी जंगी खां की खातेदारी भूमि नहीं रही है और न ही पक्षकारान की पैतृक भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के प्रावधानानुसार सर्वप्रथम वादग्रस्त भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 19(20) प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई, इस कारण यह उनकी स्वार्जित भूमि रही है। जिसमें वादीगण-अपीलाण्ट्स को कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते है और न ही उक्त भूमि पर कभी वादीगण-अपीलाण्ट्स का साधिकार कोई कब्जा काश्त रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा अपने वाद को साक्ष्य-सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज जाना 2010(2) आरआरटी 1443 के मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा धारित मतानुसार विधिसममतः है। इन परिस्थतियों में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आघोपान्त अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय में दावे व जबाबदावे आदि के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी-

1. आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 53/1 रकबा 224 बीघा 09 बिस्वा ग्राम चारणई वर्तमान राजस्व ग्राम बागडा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 24 के पूर्व पुरुष जंगीखां पुत्र अन्ने खां का वक्त सेटलमेण्ट तथा उससे पूर्व का कब्जा काश्त था? ..... जिम्मे वादी
2. आया वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में हेरफेर करके प्रतिवादीगण ने अपने नाम से गलत खातेदारी दर्ज करवाई है? .... जिम्मे वादी
3. आया वादग्रस्त भूमि की वादीगण खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है? .... जिम्मे वादी
4. आया वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? .... जिम्मे प्रतिवादीगण

अपने पक्ष की पुष्टि में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से मौखिक साक्ष्य में बिस्मिला पत्नी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अमीरदीन, लालदीन पुत्र अमीरदीन एवं सलीम पुत्र अमीरदीन के शपथपत्र/बयान कराये गये। जबकि प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से इन्द्राकंवर पुत्री मेघसिंह पत्नी नारायणसिंह, मेरा पुत्र हुसैन खां, अब्दे खां पुत्र नेकू खां, नूरे खां पुत्र आदम खां के शपथपत्र/बयान कराये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श-डी1 से प्रदर्श-डी10 जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम देवागडी संवत 2032-2035 से संवत 2057-2060 विचारण न्यायालय में पेश की गयी, जिनमें वादग्रस्त भूमि जमाल खां मेमूद खां नूरे खां पिसरान हुसैनखां की खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में विभिन्न सालों की खसरा गिरदावारियॉ पेश की गयी है, उनके आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण-रेस्पो. के निरन्तर कदीमी कब्जे काश्त की ताईद होती है। वादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में जंगी खां का नाम बतौर खातेदार दर्ज होना प्रकट होता हो। इसके विपरीत प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाह इन्द्राकंवर (डीडब्ल्यु-1) की साक्ष्य के आधार पर वादग्रस्त आराजी पूर्व में जमींदारी की भूमि होना विदित होता है। वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त भूमि जरिये म्युटेशन संख्या 19(20) प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से तीन की खातेदारी में दर्ज होना उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रकट होता है। उल्लेखनीय है कि उक्त म्युटेशन को आदिनांक तक विधिवत सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर आदिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए **तनकी संख्या एक आया वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 53/1 रकबा 224 बीघा 09 बिस्वा ग्राम चारणई वर्तमान राजस्व ग्राम बागडा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 24 के पूर्व पुरुष जंगीखां पुत्र अन्ने खां का वक्त सेटलमेण्ट तथा उससे पूर्व का कब्जा काश्त था? (जिम्मे वादी)** का निष्कर्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ पारित किया गया है, जो यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत साक्ष्य सबूत के किये गये विवेचन और विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में **तनकी संख्या दो आया वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में हेरफेर करके प्रतिवादीगण ने अपने नाम से गलत खातेदारी दर्ज करवाई है? (जिम्मे वादी)** एवं **तनकी संख्या तीन आया वादग्रस्त भूमि की वादीगण खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है? (जिम्मे वादी)** वादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में साबित होना नहीं होती है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या दो व तनकी संख्या तीन बाबत पारित निष्कर्ष में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः तनकी संख्या दो व तनकी संख्या तीन बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या "चार आया वादीगण के विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?" को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण-रेस्पो. का था, जिसका निर्वहन करने हेतु प्रतिवादीगण-रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त प्रतिवादीगण-रेस्पो. की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी की भूमि होना भलीभांति प्रकट होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में रिकार्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है। ऐसी स्थिति में **तनकी संख्या चार** बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है जो यथावत रखा जाता है।

इन परिस्थितियों में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 20 अक्तूबर 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. लालदीन पुत्र अमीरदीन
2. सलीम पुत्र अमीरदीन
3. साबुदीन पुत्री अमीरदीन
4. बिस्मिला पत्नी अमीरदीन

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी, हाल निवासी- वीर दुर्गादास कॉलोनी, मसुरिया पहाड़ी पर, जोधपुर, राज.।

बनाम

रेस्पो.

1. महेन्द्र खां पुत्र हुसैन खां
2. जमाल खां पुत्र हुसैन खां
3. गफूर खां पुत्र हुसैन खां
4. श्रीमती धाउ पत्नी स्व. नसीर खां
5. हलु उर्फ हबीला पुत्री स्व. नसीर खां पत्नी इकलाब उर्फ मोहम्मद
6. जमीला पुत्री स्व. नसीर खां पत्नी सदाम
7. फिरोज खां पुत्र नसीर खां
8. बिलाल पुत्र स्व. नसीर खां
9. सत्तार पुत्र स्व. नसीर खां
10. सिकंदर पुत्र स्व. नसीर खां

जातियान् मुसलमान, निवासीगण- चारणाई तहसील बाप, जिला फलोदी।

11. नेजु खां पुत्र हुसैन खां
12. मेरा पुत्र हुसैन खां
13. जैनफ पुत्री स्व. हनीफ खां, पत्नी बसीर खां, जाति मुसलमान, निवासी- गणेशनगर, ग्राम पंचायत करसन कलां, तहसील बाप, जिला फलोदी।
14. घुमी पुत्री स्व0 हनीफ खां, पत्नी श्री फिरोज खां, जाति मुसलमान, निवासी-गणेशनगर, ग्राम पंचायत करसन कलां, तहसील बाप, जिला फलोदी
15. मोहम्मद निजाम पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
16. इकबाल पुत्र पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17. इलमदीन पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
18. युसुफ उर्फ भूरा पुत्र स्व0 हनीफ खां, जाति मुसलमान, निवासी-चारणाई, तहसील बाप, जिला फलोदी
19. समदर खां पुत्र कायम खां, जाति मुसलमान, निवासी-दल्ले खां की चक्की, मस्जिद फुसतफा के पास, पाल रोड़, मसूरिया, जोधपुर।
20. मुसे खां पुत्र सुगरी एवं गनी खां,
21. अनवर पुत्र सुगरी एवं गनी खां,
22. मुमल पुत्री सुगरी एवं गनी खां जातियान् मुसलमान, निवासीगण-चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-ग्राम केरु तहसील व जिला जोधपुर।
23. मैना पुत्री कायम खां, पत्नी फकीर खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-भादू मार्केट, पाल रोड़, गुलिश्ता कॉलोनी, मस्जिद के पास, जोधपुर, राज.।
24. बधु पुत्री कायम खां, पत्नी बरकत खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-केरु मस्जिद के पास, केरु, तहसील व जिला जोधपुर।
25. उमर खां पुत्र इमाम खां,
26. दले खां पुत्र इमाम खां,
27. जबरदीन पुत्र इमाम खां,
28. पिरोज खां पुत्र इमाम खां,
29. सायबखातु पत्नी इमाम खां,
30. मेहरदीन पुत्र अकबर खां,
31. इसे खां पुत्र अबकर खां,
32. साऊ खां पुत्र अकबर खां,
33. मलुको पत्नी अकबर खां, जातियान् मुसलमान, निवासीगण-ग्राम चारणाई, तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाप जिला फलोदी

34. दले खां पुत्र अब्दुल हकीम
35. अब्दुल रहीम उर्फ लतीफ पुत्र अब्दुल हकीम
36. मस्ता पुत्री अब्दुल हकीम
37. सुगी पुत्री अब्दुल हकीम
38. रजीया पत्नी मोहम्मद शरीफ पुत्र जमाल खां,
39. यासीन खां पुत्र मोहम्मद शरीफ
40. अन्ना पुत्री मोहम्मद शरीफ
41. कोजु खां पुत्र मोहम्मद शरीफ
    जातियान् मुसलमान,
    निवासीगण-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल
    निवासी-ग्राम इमाम नगर, राबडिया पोस्ट सुराणी वाया आगोलाई जिला जोधपुर।
42. शरीफ खातु पुत्री जमाल खां, पत्नी भाई खान, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम इमाम नगर, राबडिया पोस्ट सुराणी वाया आगोलाई जिला जोधपुर।
43. मोहम्मद कासम पुत्र जमाल खां, जाति मुसलमान, निवासी-ग्राम चारणाई, तहसील बाप जिला फलोदी हाल निवासी-ग्राम जागरिया पोस्ट मोहरो, तहसील फलोदी जिला फलोदी
44. ग्राम पंचायत जागरिया, पोस्ट मोहरा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी
45. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप,
    जिला फलोदी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप दिनांक 20 अक्टूबर 2021 राजस्व वाद संख्या 177/2013 लालदीन व अन्य बनाम महेन्द्र खां इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 03 जनवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 अक्तूबर 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 03 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर